



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र सं०

35 / प्रशा०अनु० / 2023

दिनांक: 24.05.2023

समयबद्ध

1. प्रभारी मुख्य अभियन्ता (सिविल)
2. प्रभारी उद्यान
3. प्रभारी कम्प्यूटर
4. प्रभारी सुरक्षा अनुभाग
5. प्रभारी अनुरक्षण
6. प्रभारी पूल अनुभाग

कृपया शासन के पत्र संख्या-277/आठ-5-23-1712/2021 दिनांक 15.05.2023 (प्रति संलग्न) के अनुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन अभिकरणों/कार्यालयों में संविदा/आउट सोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त पत्र में चाही गयी सूचना पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 26.05.2023 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने कष्ट करें, जिससे कि शासन को सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(गुंजा सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(रामपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अयोध्या, उरई,
मेरठ, सहारनपुर, खुर्जा, मुजफ्फरनगर,
उन्नाव-शुक्लागंज, दुलन्दशहर एवं
मीरजापुर-विन्ध्याचल को छोड़कर)
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(कुशीनगर को छोड़कर)
4. निदेशक,
नगर भूमि एवं सीमारोपण विभाग,
उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2023

विषय:- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन अभिकरणों/
कार्यालयों में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराये
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-164/47/का-2/2022
दिनांक 28.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से
विभाग में संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों की निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक
सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-1573/आठ-5-22-1712/2021, दिनांक
18.07.2022, पत्र संख्या-76/आठ-5-23-1712/2021, दिनांक 24.01.2023 एवं संख्या-251/आठ-5-
23-1712/2021, दिनांक 08.02.2023 द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों/कार्यालयों को
संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचना निर्धारित प्रारूप पर
उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु आपके अधिकरण/कार्यालय की सूचना अभी तक अप्राप्त
अथवा वॉछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अभिकरण/कार्यालय में
संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचना निर्धारित प्रारूप पर
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 की ई-मेल आईडी0-awasanubhag5@gmail.com पर एवं हार्ड
कॉपी में 02 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2, 6 एवं 7 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया
अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को स्वस्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव

आज्ञा से,

(अजय कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

अनुस्मारक-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-164/47/का-2/2022
लखनऊ : दिनांक: 18 अप्रैल, 2022

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या-153/47-का-2/2002, दिनांक 15 जुलाई, 2022 एवं पत्र 2022 दिनांक 11-10-2022 तथा पत्र संख्या- 386/47/का-2/2022, दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपने विभाग एवं अधीनस्थ समस्त घटकों (यथा-आयोग/निगम/परिषद आदि) में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अभी तक कतिपय विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि कृपया संलग्न सूची में अंकित अपने-अपने विभागों की सूचना ई-मेल आईडी karmiksection102@gmail.com पर निम्न प्रारूप पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

72903/ACM/23

VS(R)/आ-5

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
उ०प्र० शासन।

1980/USCA/23
U.S. (AKM)

विभाग में संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सूचना का विवरण:-

विभाग का नाम	संविदा				आउटसोर्सिंग				
	क	ख	ग	घ	क	ख	ग	घ	अभ्युक्ति

संतप्रक: यथोक्त।

(रश्मि कुमारी मिश्र)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(राजेन्द्र सिंह मोर्य)
विशेष सचिव।

इन्द्र प्रताप
श्री कृतेध
01/05/23